**छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,**
**दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 6071 / 1550 / 21–ब / छ.ग. / 2011 रायपुर, दिनांक 02 / 09 / 2011.

1 3 SEP 2011

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
छ.ग. उच्च न्यायालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

**विषय –** **न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन के आधार पर यात्रा भत्ता की गणना हेतु श्रेणीकरण के निर्धारण बाबत् ।**

**संदर्भ –** **आपका ज्ञापन क. 3130, दि. 01.06.2011**

---

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क. 5901 / 1512 / 21–ब / छ.ग / 2010 दि. 14.06.2010 के द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर न्यायिक अधिकारियों के यात्रा भत्ता की गणना तथा हवाई यात्रा की पात्रता के लिये, छ.ग शासन, वित्त एवं योजना विभाग के परिपत्र क. 45 / सी 18029 / वित्त / नियम / चार / 2011 दि. 01.03.2011 (वित्त निर्देश 06 / 2011) के संदर्भ में न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों की पुनरीक्षण के संबंध में छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क. 277 / सी–1000443 / वित्त / नियम / चार दि. 30.08.2011 (वित्त निर्देश 38 / 2011) की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार.

3/9/2011
(आर.के. तिवारी)
अतिरिक्त सचिव,
छ.ग.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

AO
3/9/11

3/9/11

वित्त निर्देश-38/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 277 /सी-1000443/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

**विषयः-न्यायिक सेवा के अधिकारियों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों की पुनरीक्षण ।**

**संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार, दिनांक 01.03.2010 ।**

------

संदर्भित ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के वेतन संरचना मे यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता की संगणना के प्रयोजनार्थ शासकीय सेवकों का श्रेणीकरण एवं यात्रा भत्ता की दरें निर्धारित की गयी है। निम्न एवं उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण हेतु गठित पद्मनाभन समिति की अनुशंसानुसार छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण नियम 2010) लागू किया गया है । जिसके अंतर्गत इन सेवाओं। के अधिकारियों के लिए मास्टर पे स्केल 27700-770-33090-920-40450-1080-49090-1230-58930-1380-67210-1540-76450 स्वीकृत किया गया है ।

2/ राज्य शासन द्वारा न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार यात्रा भत्ता अर्थात् दैनिक भत्ते की संगणना के प्रयोजनार्थ श्रेणीकरण हेतु निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता है-

**श्रेणी ए-** 57700 या इससे अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी ।

**श्रेणी बी-** 39530 या इससे अधिक किन्तु 57700 से कम मूल वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी ।

**श्रेणी सी-** 27700 या इससे अधिक किन्तु किन्तु 39530 से कम मूल वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी ।

3/ न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु हवाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी-

**1.** 70290-1540-76450 वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले जिला न्यायाधीश (सुपर वेतनमान) देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे ।

**2.** 43690-1080-49090-1230-56470 या इससे अधिक वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी देश के अंदर एकोनॉमी क्लास में यात्रा के पात्र होंगे ।

**3.** 33090-920-40450-1080-45850 या इससे अधिक वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु एकोनॉमी क्लास में यात्रा के पात्र होंगे ।

4/ यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की अन्य दरें संदर्भित ज्ञापन के अनुसार होगी ।

5/ ये दरें दिनांक 1 मार्च, 2011 या इसके पश्चात् की गयी यात्रा हेतु लागू होंगी।

29/08/2011

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग